प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 24 सितंबर 2025

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय ने कल यहाँ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री रवि अग्रवाल तथा उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक एवं सीआरए) श्री ए.एम. बजाज ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन पारस्परिक हितों के क्षेत्र में क्षमता विकास तथा अनुसंधान गतिविधियों के अंतर्गत शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी वार्ता/सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु परस्पर सहयोग करेंगे।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ज़ोर देते हुए कहा कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से दोनों विभागों के मध्य व्यावसायिक सहयोग और क्षमता निर्माण के प्रयासों, विशेष रूप से डेटा-संचालित तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच कौशल अंतर को पाटने और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा का कार्य करेगा। श्री मूर्ति ने बताया कि यह साझेदारी प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संयुक्त संगोष्ठियों, उन्नत डेटा विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि साझा करने तथा जीएसटी लेखापरीक्षा व अन्य क्षेत्रों/कार्यक्षेत्रों में दूरस्थ लेखापरीक्षा जैसे नवीन विधियों के उपयोग सहित कई पहलों पर केंद्रित होगी।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा कि चूंकि दोनों संस्थाओं के लक्ष्य एकरूप हैं, इसलिए सीएजी कार्यालय सीबीडीटी द्वारा चिन्हित प्रणालियों को सुदृढ़ करने में सहायता कर सकता है, क्योंकि सीएजी अधिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विश्वास व्यक्त किया कि इस औपचारिक साझेदारी से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, परिचालन प्रभावशीलता सुदृढ़ होगी तथा लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि के आधार पर नियामक परिवर्तनों को आगे बढ़ाएगी, जिससे समग्र वित्तीय और शासन पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक योगदान प्राप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, सीएजी ने कहा कि यह सहयोग कौशल एवं ज्ञान में पारस्परिक विकास, विशेष रूप से नए सरलीकृत आईटी अधिनियम जैसे परिवर्तनों के अनुकूलन में सहायक होगा। श्री मूर्ति ने नई आयकर व्यवस्था 2025 को ध्यान में रखते हुए, राजस्व लेखापरीक्षा अधिकारियों को नियमों और विनियमों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने

खरीद प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए लेखापरीक्षा विशेषज्ञता साझा करने का भी प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, श्री रवि अग्रवाल ने कहा कि लेखापरीक्षा विभाग में उपलब्ध सतत संवाद एवं प्रशिक्षण अवसंरचना, कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाएगी तथा आयकर विभाग के अधिकारियों की अधिगम क्षमता को उन्नत करने में सहायक होगी। उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 से नई आयकर व्यवस्था 2025 में परिवर्तन के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पूर्व की हस्तक्षेप पद्धति से हटकर अब हस्तक्षेप न करने वाली पद्धति अपनाई जा रही है।

श्री के. संजय मूर्ति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री रवि अग्रवाल अध्यक्ष, सीबीडीटी, श्री केएस सुब्रमण्यन, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विधिक एवं समन्वय), श्री ए.एम. बजाज, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, (वाणिज्यिक और केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा) एवं अन्य 23.09.2025 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर

श्री के. संजय मूर्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 23.09.2025 को नई दिल्ली में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, साथ में श्री ए.एम.बजाज, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पीडीजी श्री प्रसनजीत सिंह।

बीएससी/एसएस/टीटी/70-25